

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 09/01/2026

File No.:ESTB-1024(1)/781/2025-PHE :: श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां., परिक्षेत्र-रायपुर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यो में लापरवाही बरतने एवं समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के बिना सामाग्री में परिवर्तन किये जाने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 02.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 27.12.2024 समाधानकारक नहीं था।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र-रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9-(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अविधि के दौरान श्री गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन नियत किया जाता है।

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

Digitally signed by
TULA RAM BHATPAHARI
Date: 09-01-2026

22:44:51
(श्री टी.आर. भतपहरी)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

निरन्तर.....02

// 2 //

पृ. File No.:ESTB-1024(1)/781/2025-PHE

नवा रायपुर, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर.
 2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर.
 3. मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, सिविल लाईन रायपुर छ.ग.
 4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर.
 5. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, जिला रायपुर छ.ग.
 6. श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां., परिक्षेत्र-रायपुर छ.ग.
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।
7. ऑर्डर बुक।

Digitally signed by
TULA RAM BHATPAHARI
Date: 09-01-2026
22:45:27

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग